बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–03/2017 288 पटना, दिनांक: 19-11-19

कार्यालय आदेश

श्री श्रीधर पाण्डेय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुलतानगंज, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक,रधुनाथपुर, सीवान के विरूद्ध विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–136(नि०को०)/रा० दिनांक–15.02.2017 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–2840/रा० दिनांक–27.09.2016 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–163 सहपठित ज्ञापांक–735 दिनांक–19.04.2017 द्वारा श्री श्रीधर पांडेय पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी । इसमें संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए निदेशालय के का०आ०सं०–128 सहपठित ज्ञापांक–888 दिनांक–03.05.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत निन्दन के साथ संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतनवृद्धि रोकने का लघु दण्ड अधिरोपित किया गया है।

3. उक्त आदेश के विरूद्ध श्री श्रीधर पाण्डेय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन दिनांक–29.05.2019 को दिया गया। अपने पुनरीक्षण आवेदन में श्री श्रीधर पाण्डेय ने उल्लेख किया है कि उक्त आदेश के द्वारा उन्हें निन्दन के साथ संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड दिया गया है। संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धि रोकने के इस दण्ड के समाप्ति के बाद उनकी वेतनवृद्धियॉ पुनः संचित होकर दण्ड के प्रभाव के बाद अगली वेतनवृद्धि में जुड़ जायेगीं, लेकिन उनके मामले में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो जा रही है क्योंकि उनकी सेवानिवृति की तिथि–31.01.2022 है और रोकी गयी वेतनवृद्धियॉ का अगले वेतनवृद्धि जुड़ने के समय के पूर्व ही वे सेवानिवृत हो जायेंगे, अतः इनके दण्ड को पुनरीक्षित करते हुए अधिकतम एक वेतनवृद्धि रोकने की कृपा की जाय।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–28 में पुनरीक्षण का प्रावधान है। इसमें किये गये प्रावधान के आलोक में श्री श्रीधर पाण्डेय के पुनरीक्षण आवेदन पर दिनांक–15.10.2019 को सुनवाई की गयी एवं उनके पक्ष को सुना गया। सुनवाई के क्रम में श्री श्रीधर पाण्डेय द्वारा दिये गये तथ्य एवं संचिका में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि श्री पाण्डेय की जन्मतिथि–11.01.1962 है और सेवानिवृति की तिथि–31.01.2022 है। इनपर अधिरोपित दण्ड के अनुसार इनकी वेतनवृद्धियॉ 01.07.2019, 01.07.2020 एवं 01.07.20121 को कटतीं तथा तीनों दिनांक–01.07.2022 को जुड़ जाती; लेकिन चूँकि ये 31.01.2022 को ही सेवानिवृत हो जा रहें है, अतः इनकी वेतनवृद्धि जुड़ नहीं पा रही है, इस प्रकार यह दण्ड लघु दण्ड न होकर वृहत दण्ड में परिवर्तित हो जा रहा है।

0102 स्था0 1(का0 आ0) (06 नवंबर 2019) श्रीधर पाण्डेय.

(10)

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री श्रीधर पाण्डेय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुलतानगंज, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक,रधुनाथपुर, सीवान के विरूद्ध निदेशालय के का०आ०सं०–128 सहपठित ज्ञापांक–888 दिनांक–03.05.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–28 के तहत पुनरीक्षित करते हुए निन्दन के साथ संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड के रूप में संशोधित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–03/2017 2143 पटना, दिनांक : 19.11.19

प्रतिलिपि :–सचिव के सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–136 (नि०को०)/रा०दिनांक–15.02.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, भागलपुर को उनके पत्रांक–2840/रा० दिनांक–27.09.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रधुनाथपुर, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री श्रीधर पाण्डेय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुलतानगंज, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक,रधुनाथपुर,सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/11

निदेशक

0102 स्था01(का0आ0) (06 नबंवर 2019) श्रीधर पाण्डेय.